

## मूल संरचना की उत्पत्ति

प्रासंगिकता: जीएस 2: भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

की-वर्ड्स : शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला, संविधान 103 वां संशोधन अधिनियम, 2019, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973), आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975)।

### संदर्भ:

- पिछले एक सप्ताह से, मीडिया सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक पीठ के समक्ष कार्यवाही की ईमानदारी से रिपोर्ट कर रहा है कि क्या संविधान 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 "संविधान की मूल संरचना" का उल्लंघन करता है।
- सुनवाई खत्म होने के बाद जज अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन इस बीच, यहां संविधान की "मूल संरचना" की उत्पत्ति के बारे में कुछ विचार दिए गए हैं।



### पृष्ठभूमि

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में ऐतिहासिक निर्णय में 'मूल संरचना' की अवधारणा अस्तित्व में आई।
- उपरोक्त मामले में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करती है।
- हालांकि, अदालत ने 'बुनियादी संरचना' शब्द को परिभाषित नहीं किया, और केवल कुछ सिद्धांतों - संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र - को इसके हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया।

## मूल संरचना की उत्पत्ति

- न्यायालयों को हमारे संविधान के तहत न केवल कार्यकारी आदेशों को अमान्य करने का अधिकार है, बल्कि ऐसे विधायी अधिनियम भी हैं जो संविधान के भाग III (अधिकारों के विधेयक) में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के किसी भी हिस्से का उल्लंघन करते हैं।
- लेकिन क्या उन्हें भी संवैधानिक संशोधनों की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है - आवश्यक विशेष बहुमत के साथ पारित और **अनुच्छेद 368** में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए - संविधान इस पर चुप है।
- 1989 तक, हर चुनाव में लगभग एक ही राजनीतिक दल के सत्ता में लौटने के साथ, न्यायाधीशों ने संशोधन शक्ति पर कुछ सीमाओं की खोज कर दी थी।
- **शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ मामले (1951)** में पांच न्यायाधीशों के एक बेंच के फैसले में उन्होंने ऐसा नहीं कहा था।
- चौदह साल बाद - पांच न्यायाधीशों की एक अलग बेंच - **सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य** मामले में फिर से नहीं कहा, लेकिन इस बार कुछ झिझक के साथ।
- अंततः, 1973 में केशवानंद भारती में, 13 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ सबसे लंबे समय (कई महीनों) तक बैठी रही और इस पर बहस सुनती रही जिसे "गंभीर क्षण का मुद्दा, न केवल इस देश के भविष्य के लिए बल्कि लोकतंत्र के भविष्य के लिए" के रूप में वर्णित किया गया था।"
- **खंडित फैसले में, 7:6 के बहुमत से, यह माना गया कि:**
  - हालांकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण थी,
  - मौलिक अधिकार अध्याय में वर्णित अनुच्छेदों सहित संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद का विस्तार,
  - किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं थी यदि वह "संविधान की मूल संरचना या ढांचे" को बदल देता है।

## फैसले की आलोचना

- संशोधन करने की शक्ति में निहित सीमाओं को पढ़कर, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई मिसाल कायम की (दो पूर्व न्यायिक मिसालों को पछाड़ते हुए)। लेकिन बहुमत के दृष्टिकोण की चौतरफा आलोचना हुई।
- कहा गया था कि मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित करके संविधान के संरक्षक एक समय में संविधान के ऊपर संरक्षक बन गए थे - संवैधानिक अधिनिर्णायकों ने संवैधानिक राज्यपालों की भूमिका ग्रहण की थी!

## इंदिरा गांधी केस

- 1971 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिलने के साथ, देश गंभीर संवैधानिक संकट के दौर में चला गया।

- लेकिन फिर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इंदिरा गांधी राज नारायण द्वारा उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका हार गई।
- राज नारायण ने 1971 के चुनाव में रायबरेली से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था।
- और जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील लंबित थी, पहली बार 25 जून, 1975 से एक आंतरिक आपातकाल लगाया गया था।
- फिर, अगस्त 1975 में, संसद ने आनन-फानन में संविधान का 39वां संशोधन विधेयक पारित किया।

### संविधान में 39वां संशोधन

- इसने प्रदान किया कि -
  - संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के चुनाव पर लागू नहीं होगा;
  - ऐसे व्यक्ति का चुनाव शून्य या कभी भी शून्य नहीं माना जाएगा;
  - यह सभी प्रकार से वैध बना रहेगा।

### एसआर बोम्मई केस (1994)

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकारों को बर्खास्त करने को बरकरार रखा, इन सरकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा पैदा किया।

- वास्तव में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले - श्रीमती गांधी को मौजूदा चुनाव कानूनों के तहत "भ्रष्ट आचरण" का दोषी मानते हुए - एक संवैधानिक संशोधन द्वारा उलटने का प्रयास किया गया था।
- केशवानंद भारती के बाद पहली बार संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए, पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने इस कच्चे प्रयास का विरोध किया था।
- इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने - एक कानून की मजबूरी के तहत - कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का एक मौलिक हिस्सा थे और संशोधन शक्ति की पहुंच से परे थे।
- बेंच के सभी पांच जज केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच का हिस्सा रहे हैं। यह वह निर्णय था जिसने "मूल संरचना सिद्धांत" को मजबूत करने में मदद की।

### इसे स्थायी संवैधानिक वैधता प्रदान करना

- निर्णय एक निर्धारित बहुसंख्यक शासन के दांतों में न्यायालय की न्यायिक शक्ति के दावे में एक उच्च वॉटरमार्क का गठन करता है।

- बहुत बाद में, 2007 में, आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में, नौ न्यायाधीशों की एक अलग पीठ एक सर्वसम्मत निर्णय में, केशवानंद भारती में संकीर्ण बहुमत के दृष्टिकोण (7:6 के) को आधिकारिक रूप से बरकरार रखा, और इसे स्थायी संवैधानिक वैधता प्रदान की।

### 'बुनियादी संरचना' सिद्धांत

- तब से निम्न को शामिल करने के लिए व्याख्या की गई है -
  - संविधान की सर्वोच्चता,
  - कानून का शासन,
  - न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
  - शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत,
  - संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य,
  - सरकार की संसदीय प्रणाली,
  - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत,
  - कल्याणकारी राज्य, आदि।



### आगे की राह:

- मूल संरचना सिद्धांत भारत के संविधान के पहले 25 वर्षों के दौरान काम करने के अनुभव के लिए एक चिंतित और सक्रिय अदालत की प्रतिक्रिया थी।
- यह सहमति से ज्यादा राजनीतिक मजबूरियों के कारण बनी हुई है क्योंकि शुरू में एक लंबी अवधि के लिए, भारत में किसी भी एक राजनीतिक दल ने संसद में दो-तिहाई प्रतिनिधित्व हासिल नहीं किया था।
- संविधान संशोधन को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- 2019 के बाद से - एक पार्टी के सुपर-बहुसंख्यक शासन की वापसी के बाद, यह आज भी लागू है क्योंकि इसे कई मौकों पर सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया है।

**स्रोत:** <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/fali-s-nariman-supreme-courts-basic-structure-doctrine-new-context-8160302/>

### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न -

मूल संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी 'बुनियादी संरचना' को परिभाषित करता है।
2. भारत का संविधान स्पष्ट रूप से 'नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा प्रदान करता है जिन पर संविधान आधारित है।

नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर :d**

**व्याख्या:**

- सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे को परिभाषित किया है न कि संविधान को।
- 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसले में 'बुनियादी संरचना' की अवधारणा अस्तित्व में आई।
- न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारत में संविधान का मूल सिद्धांत है।
- यद्यपि न्यायिक समीक्षा के लिए भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, यह हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न -

'मूल संरचना के सिद्धांत' से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके विकास और महत्व पर चर्चा करें।

 **ध्येय IAS®**  
most trusted since 2003